न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नगर उंटारी (गढ़वा)।

नामांतरण अपील वाद सं. 07/2017-18

श्रीमति मंजू देवी ——————→ अपीलार्थी

बनाम

हरिहर दास वगैरह ——————→ प्रत्यार्थीगण

आदेश

6.1.2018

अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, रमना द्वारा विविध वाद सं. 02/15-16 में दिनांक 19.5.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दाखिल किया गया है विलम्ब को दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र दिया गया है अपील आवेदन-पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत किया जाता है संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त। तत्पश्चात् विज्ञ अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम कोरीया उर्फ रमना के खाता सं. 02 प्लॉट 658 रकबा 0.02½ एकड़ भूमि अपीलार्थी ने बजरिये केवाला सं. 5155 दि० 30.9.1997, 5402 दि० 20.10.97 एवं 5250 दिनांक 22.7.1997 के अनुसार विक्रेता बिरजू साव, सुरेश्वर साव एवं वन्धन साव से खरीद किया है जिसपर अपीलार्थी का पक्का मकान अवस्थित है प्रश्नगत भूमि की खरीदी केवाला दर केवाला की गई है

अपीलार्थी के द्वारा अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया गया। जिसके अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त नामांतरण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि प्रश्ननगत भूमि का मांग पूर्व के विक्रेता के नाम से कायम था। कायम मांग धारी से खरीद की गई भूमि को अपीलार्थी द्वारा केवाला कर केवाला क्रय किया गया है, जिसे यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया कि पूर्व के विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। जबकि प्रश्ननगत भूमि का मांग ऑनलाईन मोन्टू साव के नाम से कायम है तथा हाल सर्वे का खतियान भी प्राप्त है यदि भूमि पूर्व के विक्रेता के नाम से कायम नहीं रहता तो खतियान कैसे प्राप्त होता और ऑनलाईन रसीद कैसे निर्गत होता। प्रत्यार्थी के आवेदन-पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा जमाबंदी कायम हेतु आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया कि प्रश्ननगत भूमि का मांग पूर्व से ही अधिक कायम है। प्रश्ननगत भूमि का मांग 92 डी. से बढ़ाकर 0.94 3/4 एकड़ कर दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा अधिक कायम मांग को निरस्त न कर अपीलार्थी के आवेदन-पत्र को ही अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः अंचल अंचल अधिकारी रमना द्वारा दिनांक 19.5.16 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए। अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए है।

(1) विगत सर्वेक्षण खतियान की छाया प्रति ——— 1 फर्द
(2) अपीलार्थी का केवाला की छाया प्रति ——— 19 फर्द
(3) विक्रेता मोन्टू साव का केवाला " ——— 15 फर्द
(4) मोन्टू का लगान रसीद की छाया प्रति ——— 1 फर्द
(5) मोन्टू साव केनाम से ऑन लाईन दर्ज मांग पंजी ——— 1 फर्द
(6) विरजू साव के द्वारा एकरारनामा " ——— 1 फर्द
(7) हाल सर्वे का खतियान मोन्टू साव " ——— 1 फर्द
(8) हाल सर्वे खतियान के आधार लगान रसीद " ——— 1 फर्द
(9) वाद में वर्णित भूमि पर अवस्थित मकान का फोटो ——— 3 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा जो अपील लाया गया है, वह गलत है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी के दादा शिवप्रसाद दास को प्रश्नगत प्लॉट में 17 डी. भूमि प्राप्त है। प्रत्यर्थी को काबिल लगान केस नं. 1203/64-65 से 14 डी० एवं 3 डी. भूमि बन्दोबस्ती से प्राप्त है। प्रश्नगत प्लॉट का कुल खतियानी रकबा 0.92 डी. ही है। जबकि विभिन्न रैयतों के नाम से 94 3/4 डी. का मांग चल रहा है। जो वास्तविक रकबा से 2 3/4 डी. अधिक चल रहा है। अपीलार्थी के द्वारा बात लाई गई कि केवाला दर केवाला भी

(2) क्षतिपूर्तिवाद सं 61/60-61 की छाया-प्रति ——— 1 फर्द

(3) काबिल लगानवाद सं 1203/64-65 ,, ——— 1 फर्द

(4) खतियान की छाया प्रति ——— 1 फर्द

7 फर्द

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, रमना से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्व बगौंधा उर्फ रमना के खाता सं. 2 प्लॉट 658 का खतियानी रकबा 12 डी० है, वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का मांग 14 3/4 डी. है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा केवाला दर केवाला भूमि क्रय की गई है का जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा अनुरोध किया गया है कि खतियानी रैयत के नाम मांग कायम करने की स्वीकृति दी जाय ताकि क्रय की गई भूमि का नामांतरण हो सके। अंचल अधिकारी रमना द्वारा उभय पक्षों को सुनकर अंतिम आदेश में यह उल्लेख किया है कि पूर्व से ही प्रश्नगत प्लॉट का मांग अधिक चल रहा है, जिसमें पुनः 0.02½ डी. का मांग अलग से कायम कर पूर्व के मांग में बढ़ाने हेतु अपीलार्थी का आवेदन-पत्र विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया है।

अतः अंचल अधिकारी, रमना द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व कागजात के आधार पर अपीलार्थी का अपील आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रमना को भेजी जाती के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

6/1/18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।